न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कक्ष सं0–एक, कासगंज।
उपस्थितः– श्री हरविन्दर सिंह, ''एच0जे0एस0''
<u>सत्र परीक्षण संख्या– 206/2015</u>
राज्य ––––बनाम्–––––– राजू ।

<u>टिप्पणी न्यायाधीश</u>

विद्वान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष ने अपना केस प्रस्तुत किया तथा आरोप निर्धारण के प्रश्न पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर जो सामग्री प्रस्तुत की गयी है, मैं, यह पाता हूँ कि अभियुक्त राजू के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा–411,413,414 के अधीन आरोप निर्धारण हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये गये। अभियुक्त ने लगाये गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की ।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य हेतु दिनॉक29.08.2017 नियत की जाती है। पक्षगण को सूचित किया जाए।

(हरविन्दर सिंह),
अपरं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय कक्ष सं0–एक,
कासगंज।

दिनॉकः–11.08.2017.

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कक्ष सं0—एक, कासगंज।
उपस्थितः— श्री हरविन्दर सिंह, ''एच0जे0एस0''
<u>सत्र परीक्षण संख्या— 206/2015</u>
राज्य —————बनाम्—————— राजू ।

अ0सं0 : निल/2011,
धारा 411,413,414 भा0द0सं0,
थाना : कोतवाली कासगंज,
जनपद—कांशीरामनगर।

आरोप

मै, हरविन्दर सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कक्ष सं0—एक, कासगंज एतद्द्वारा आप राजू के विरूद्ध निम्न आरोप विरचित करता हूँ किः—

पहला, यह कि दिनॉक 26.11.2011 को समय 20.00पी0एम0 बजे स्थान ताहिल फैक्ट्री की पूर्वी दीवार बंद गेट के सामने पेड़ की आड में बहद ग्राम मौहल्ला आवास विकास कालौनी,थाना कासगंज, जिला कांशीराम नगर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखविर द्वारा बताये स्थान पर आपको एक दम दविश देकर घेर कर पकड़ा तो आपके कब्जे से संदिग्ध चोरी की तीन मोटर साइकिलें जिनमें एक मोटर साईकिल हीरोहोण्डा पेंशन प्लस नीला काला रंग रजिस्टर नम्बर यू0पी082ई 5631,दूसरी मोटर साईकिल हीरो होण्डा पेश्न प्लस , रंग लाल सिलवर रंग पट्टी तथा तीसरी टी0वी0एस0 स्टार लाल रंग बिना नम्बर की, जिनके इंजन नम्बर एंव चैसिस नम्बर फर्द बरामदगी दिनांकित 26.11.2011 में वर्णित किए गये है,बरामद हुई । इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जोकि भा0द0सं0 की धारा—411 के अधीन दडनीय अपराध है। जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तीसराः— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से चुराई हुई तीनों मोटर साईकिलो की आप अभ्यसतः बेचने हेतु ले जा रहे थे। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जोकि भा0द0सं0 की धारा—413 के अधीन दडनीय अपराध है। जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चौथाः— यह कि उपरोक्त दिनांक, समयव स्थान पर सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से चुराई हुई तीनों मोटर साईकिलो जिन्हें आपके द्वारा` छिपाने में सहायता की या इधर —उधर करने में स्वेच्छया सहायता की। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जोकि भा0द0सं0 की धारा—414 के अधीन दडनीय अपराध है। जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय ।

(हरविन्दर सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय कक्ष सं0—एक,
कासगंज।

दिनॉकः—11.08.2017

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये एंव समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मॉग की ।

(हरविन्दर सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय कक्ष सं0—एक,
कासगंज।

दिनॉकः—11.08.2017.